

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

रॉची
3432 दिनांक :- 9.7.11

अधि० सं०-1/स्था.-01/2007 ज.स. ————— / दिनांक 13.06.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) (चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनको अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार सिन्हा M 178/01.01.52/भोजपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) यॉत्रिक प्रमंडल बनासो	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन हेतु विभागीय मुख्यालय में।	
2	श्री कमलेश्वर प्रसाद M 204/17.01.55/पटना	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-4, रॉची	अधीक्षण अभियंता(यॉ.) (चा.प्र.) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, रॉची	

2. अधीक्षण अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

3. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें कार्यपालक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

4. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

5. अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)
09/07/11

ज्ञापांक-

3432

राँची, दिनांक- 9.7.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी. सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक-

3432

राँची, दिनांक- 9.7.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के भीतर विरमित नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह जुलाई 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)